



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241079
CG-DL-E-14122022-241079

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5602]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/ अग्रहायण 22, 1944

No. 5602]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/ AGRAHAYANA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5838(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 727 (अ) तारीख 16 फेब्रुवारी 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ओस्मानाबाद जिले में NH9 के कि.मी. 269/800 से कि.मी. 348/800 (सेंट्रल बिल्डिंग, कलेक्टर ऑफिस, ओस्मानाबाद) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 26/03/2022 को दैनिक 'लोकमत' और तारीख 28/03/2022 दैनिक 'सकाळ' दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 9 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं 65) के 269/800 कि.मी. से 348/800 कि.मी. (महाराष्ट्र - सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: उस्मानाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: ओमेरगा				
	गांव का नाम: दालिंब				
1	642	निजी	कृषि	0.04	शिवाजी बनप्पा सारणे (६४२)
	गांव का नाम: जकेकुर				
2	203/2	निजी	कृषि	0.04	भागाबाई माणिक दुधभाते, राम माणिक दुधभाते, दत्तोबा माणिक दुधभाते (२०३/२)
3	249/2/2	निजी	कृषि	0.1802	सुभाष श्रीमंत समाने, कमलाकर श्रीमंत समाने, युवराज श्रीमंत समाने, मंगलबाई मल्लाप्पा लावणे, शशिकला बाबुराव विराजदार, चंद्रकांत दत्तात्रय आलुरे (२४९/२/२)
4	77	निजी	कृषि	0.02	उमेश काशिनाथ माळी (बलसूरकर), सोमनाथ काशिनाथ माळी (बलसूरकर),

					स्मिता संतोष माळी, नागम्मादेवी काशिनाथ (बलसूरकर), चंद्रशेखर गुरप्पा माळी (७७)
	गांव का नाम: तालमोड				
5	17	निजी	कृषि	0.06	संभाजी नरसिंग मोरे, मुद्रिकाबाई नरसिंग मोरे, अनिता नरसिंग मोरे, कविता नरसिंग मोरे, निवेदिता नरसिंग मोरे, नागनाथ पांडुरंग मोरे, व्यंकट पांडुरंग मोरे. (१७)
	गांव का नाम: तुरोरी				
6	72	निजी	कृषि	0.015	बाबू देवराव राठोड, किसन उद्धव राठोड, शंकर उद्धव राठोड, नितीन अशोकराव जाधव, अशोक शंकर राठोड, पंडित शंकर राठोड, संजय शंकर राठोड (७२)
	तालुक का नाम: तुळजापुर				
	गांव का नाम: इटकळ				
1	150	निजी	कृषि	0.04	शुक्र बाबुलाल मुजावर, महमद अजरोद्दीन महेबूब (१५०)
	गांव का नाम: जलकोट				
2	16	निजी	रहिवासी	0.01	हणमंत शंकर पाटील (१६)
3	18	निजी	रहिवासी	0.01	वीरभद्रप्पा आडव्याप्पा बिराजदार (१८)
4	19	निजी	रहिवासी	0.01	बालाजी मोहन सुरवसे (१९)
			कुल	0.4252	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2022

S.O. 5838(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S. O. 727 (E) dated 16/02/2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH9 on the stretch of land from Km. 269/800 to Km. 348/800 (Central Building, Collector office, Osmanabad) in the district of OSMANABAD in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Lokmat” and “Daily Sakal” both dated 26/03/2022 & 28/03/2022 respectively; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of Land from Km. 269/800 to Km. 348/800 (Maharashtra Section) of the NH-9 (New National Highway. 65) in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: OSMANABAD		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Omerga				
	Village: Dalimb				
1	642	Private	Agriculture	0.04	Shivaji Banappa Saarne 642
	Village: Jakekur				
2	203/2	Private	Agriculture	0.04	Bhagabai Manik Dudhbhate, Ram Manik Dudhbhate, Dattoba Manik Dudhbhate 203/2
3	249/2/2	Private	Agriculture	0.1802	Subhash Shrimant Samane, Kamlakar

					Shrimant Samane, Yuvraj Shrimant Samane, Mangalbai Mallappa Lavane, Shashikala Baburao Birajdar, Chandrakant Dattatray Alure 249/2/2
4	77	Private	Agriculture	0.02	Umesh Kashinath Mali (Balsurkar), Somnath Kashinath Mali (Balsurkar), Smita Santosh Mali, Nagammadevi Kashinath (Balsurkar), Chandrashekhar Gurappa Mali 77
Village: Talmod					
5	17	Private	Agriculture	0.06	Sambhaji Narsing More, Mudrikabai Narsing More, Anita Narsing More, Kavita Narsing More, Nivedita Narsing More, Nagnath Pandurang More, Vyankat Pandurang More 17
Village: Turori					
6	72	Private	Agriculture	0.015	Babu Devrao Rathod, Kisan Uddhav Rathod, Shankar Uddhav Rathod, Nitin Ashokrao Jadhav, Ashok Shankar Rathod, Pandit Shankar Rathod, Sanjay Shankar Rathod 72
Taluk: Tuljapur					
Village: Itkal					
1	150	Private	Agriculture	0.04	Shukur Babulal Mujavar, Mahamad Ajroddin Mahebub 150
Village: JalkoT					
2	16	Private	Resident	0.01	Hanmant Shankar Patil 16
3	18	Private	Resident	0.01	Virbhadrappa Advyappa Birajdar 18
4	19	Private	Resident	0.01	Balaji Mohan Survase 19
			TOTAL	0.4252	

[F. No. NHAI/LA/11013/Mah/Solapur/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director